

सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें।

निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, मुख्यालय,
देहरादून।

विभाग में उपलब्ध सेवायें

क्रम0सं0	उपलब्ध सेवा	सेवा प्राप्त करने हेतु किससे सम्पर्क करे ?		सेवा शुल्क मूल्य	सेवा कितने समय में उपलब्ध हो पायेगी?	सेवा विषयक शिकायत कहाँ करें?	शिकायत कितने समय में दूर होगी?	विभाग के उद्देश्य
		पदनाम	स्थान					
1	निबन्धन	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार निबन्धन शुल्क	90 दिन के अन्दर	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।	1—माह की अवधि में।	इस नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से हम प्रतिबद्ध हैं कि हम सहकारिता के
2	निर्वाचन	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार निर्वाचन शुल्क	निबन्धक द्वारा नियमानुसार निर्वाचन तिथि की घोषणा किये जाने पर	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।	गम्भीर प्रकरण 15 दिन में एवं सामान्य प्रकरण 1 माह में।	निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का अनुपालन करेंगे। 1—स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता।
3	सहकारी समितियों के कार्यकलापों की जांच	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	निःशुल्क	तत्काल	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।	गम्भीर प्रकरण 15 दिन में एवं सामान्य प्रकरण 1 माह में	2—लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। 3—सदस्यों की आर्थिक भागीदारी।
4	समितियों के विवादों का निपटारा	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार	तत्काल	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल	विवादों के निर्णय के उपरान्त 1 माह की अवधि में	4—स्वायत्ता एवं स्वाधीनता,। 5—शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी। 6—सहकारी संस्थाओं में आपसी सहयोग। 7—समुदाय से सम्बन्ध।

सम्पर्क सूत्र:-

क्र०सं०	सम्पर्क अधिकारी	कार्यालय दूरभाष
1	जिला सहायक निबन्धक उत्तरकाशी।	01374-226137
2	जिला सहायक निबन्धक टिहरी	01378-227159
3	जिला सहायक निबन्धक	01368-222308
4	जिला सहायक निबन्धक चमोली	01372-252189
5	जिला सहायक निबन्धक रुद्रप्रयाग	01368-233529
6	जिला सहायक निबन्धक हरिद्वार	01334-231378
7	जिला सहायक निबन्धक देहरादून	0135-2712294
8	जिला सहायक निबन्धक पिथौरागढ़	05964-225750
9	जिला सहायक निबन्धक चम्पावत	05965-230993
10	जिला सहायक निबन्धक, बागेश्वर	05963-221170
11	जिला सहायक निबन्धक अल्मोड़ा	05962-232290
12	जिला सहायक निबन्धक नैनीताल	05942-236307
13	जिला सहायक निबन्धक उधमसिंहनगर	05944-242269

सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध सेवायें :-

- (क)- कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण वितरण
- (ख)- जिला सहकारी बैंको द्वारा ऋण-
 - 1- ऋणियों का बीमा आई.सी.आई.सी.आई.
प्रोडेन्शियल के माध्यम से ।
 - 2-इफको टोकियो क माध्यम से सामान्य बीमा ।
- (घ) उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति ।
- (ङ) सहकारी समितियों में मिनी बैंको की स्थापना ।
- (च) लघु एवं सीमान्त कृषको को सहकारी
सहभागिता योजना ।
- (छ) प्रदेश के कृषक सदस्यों को किसान आवास
योजना ।
- (ज) श्रम समितियों को बिना निविदा 2.00 लाख
रु० तक के कार्य का आवंटन ।
- (झ) बेरोजगारों को भी श्रम समितियों के माध्यम से
बिना टेण्डर के कार्य आवंटन ।
- (ड.) दीन दयाल योजनान्तर्गत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण

अपने सुझावों एवं पूछताछ हेतु कृपया लिखे—

श्रीमती ईरा उप्रेती, अपर निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
रेलवे कासिंग, मियांवाला, देहरादून फोन 0135-2685634,
ईमेल—तबेनजजंतींदक/हउंपसण्ववउ

उत्तराखण्ड सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड